Dated:- 23-03-2026 1

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : उपेन्द्र कुमार

जमानत आवेदन संख्या–172/2026

(मो0 फैजल बनाम राज्य सरकार)

1. मो0 फैजल पे0 हबिबुल रहमान..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री कर्ण गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

23.03.2026 1. काराधीन आवेदक **मो0 फैजल** की ओर से आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत। आवेदक को **सोनकी थाना काण्ड सं. 174/25** अन्तर्गत **धारा 303(2), 317(2), बी0एन0एस0** [विद्वान ए0सी0जे0एम0, नवम, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित] में अभियोजित किया गया है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचिका श्रमती ममता राय के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक–29.12.2025 सूचिका घर में रात्रि में कुछ आवाज सुनकर देखी कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल चलाकर सूचिका के घर से बोरा में सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूचिका के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गये, जिसके बाद दोनों चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें एक चोर मोटरसाईकिल और सामान के साथ पकड़ा गया और एक चोर भाग गया। पकड़े हुए चोर ने अपना नाम मो0 फैजल एवं भागने वाले चोर का नाम बिरजु कुमार सहनी बताया। पुलिस सूचना पाकर आई और चोरी का सामान फूल का बर्तन, कान का झुमका, पित्तल का बर्तन, 70,000 हजार रूपये और कपड़ा के साथ चोर को अपने साथ ले गये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक उपरोक्त थाना कांड संख्या में दिनांक 30.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई जमानत आवेदन ना तो किसी उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक का दो आपराधिक इतिहास बहादुरपुर थाना कांड संख्या 477/2024 एवं लहेरियासराय थाना कांड संख्या 663/2024 दर्ज है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गलत, बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है। आवेदक इस केस का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : उपेन्द्र कुमार

जमानत आवेदन संख्या–172/2026

(मो0 फैजल बनाम राज्य सरकार)

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. अभिलेख एवं संपूर्ण कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। आवेदक के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा 303(2), 317(2), के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड दैनिकी की कंडिका 03 में वादिनी, कंडिका 04 एवं 05 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। आवेदक के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा 303(2), 317(2), के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अन्वेषण पूर्ण हो चुका है। साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नगण्य है। आवेदक की माता ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि आवेदक किसी भी अपराधिक कृत नहीं करेगा व न ही किसी भी प्रकार के घटना में संलिप्त पाया जायेगा एवं कानून व्यवस्था का पालन करेगा। आवेदक दिनांक 30.12.2025 से निरंतर कारा में है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक की न्यायिक अवधि को बढ़ाने का कोई विशेष कारण परिलक्षित नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक **मो0 फैजल पे0 हबिबुल रहमान** को **10,000/–रूपया** के दो जमानतदारों के साथ समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय विद्वान ए0सी0जे0एम0, नवम, दरभंगा के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0/–

(उपेन्द्र कुमार)

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,दशम,

दरभंगा।

Date of Judgement/Order	23-03-26
Date of Reserving Judgement/Order	23-03-26
Uploading Date	26-03-26
Uploaded by	PAWAN KUMAR STENO